न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
106/2025 प्रा.पत्र/2025	30.12.2025	12.02.2026
जीसीएमएस नं0 246/2025		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री अनिल गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी महाजन मोहल्ला बहीर टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गर्ग किराणा स्टोर मन्दिर के सामने, फूलबाग रोड, बहीर टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001 मोबाईल नं0 7976518454
2–मैसर्स गर्ग किराणा स्टोर मन्दिर के सामने, फूलबाग रोड, बहीर टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001

.....**अप्रार्थी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iV) व 31(1) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 व 63 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 12/2/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.09.2025 को समय 04:30 पी.एम. पर मैसर्स गर्ग किराणा स्टोर मन्दिर के सामने, फूलबाग रोड, बहीर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री अनिल गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग अपने प्रतिष्ठान मैसर्स गर्ग किराणा स्टोर मन्दिर के सामने, फूलबाग रोड, बहीर टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड़, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री अनिल गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अनिल गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैंक में लगभग 20 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** वास्ते आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था। **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री अनिल गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री अनिल गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग के हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** दुकान की रैंक में लागभग 20 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येंक 500–500 एम. एल. पैंक जिसके बैंच नंम्बर 49 एवं पैंकिग की दिनांक अगस्त 2025 थी, **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** में से 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4484 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4484 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/1263 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/3320/एक्ट/2025/3388 दिनांक 15.09.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेघ एवं निर्बधन) नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन** (**Contravene**) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** जांच में **कॉन्ट्रावेन** (**Contravene**) व अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (डेयरी ब्राईट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/—(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/21 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0